

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 14/2018

आरसीएमएस नम्बर( 2018/00017)

उनवान प्रकरण

सियादेवी पत्नि स्व0 विशम्बरसिंह उम्र करीव 48 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम नगला  
हरनाथ पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.01.2018  
मु0नं0 06/2018 सरकार बनाम सियादेवी  
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय  
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट  
रेस्पोडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 27.07.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 440 रकवा 3 बीधा में से 1 वीधा 1 विस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर बाँके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में संरसों की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी में पश्चातवर्ति अतिक्रमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्त्री अधिरोपित कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 15.01.2018 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर किसी प्रकार विधिवत तामील नहीं करबाई है और अपीलान्ट की वैक पर बिना तामील

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
धौलपुर

(2)

न्याय अति.जिला कलक्टर धौ  
वमुक: सियादेवी बनाम सरकार  
अपील संख्या 14/2018

कराये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य समाप्त करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। हल्का पटवारी द्वारा विना मौके की जांच किये साजिसन अपीलान्त के खिलाफ झूठी रिपोर्ट पेश की है। विवादित आराजी में से 2 वीधा 10 विस्वा रकवा अपीलान्त के पूर्वपूरुष पोहपसिंह पुत्र डौगरसहाय जाति ठाकुर के हक में दिनांक 5.12.1968 को विनियमित की जा चुकी है। तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध की गई कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का किसी प्रकार पालन नहीं किया है तथा अपीलान्त को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती है। अपीलान्त ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्त पर अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी नोटिस की कोई तामील नहीं हुई। अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा आदेश पारित किया है। अपीलान्त ने उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगी वर्तमान में अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। अपीलान्त के अभिभाषक ने अपने उक्त कथनों के समर्थन में अपीलान्त सियादेवी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सजा के बिन्दु को माफ करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोजेण्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने की आदी है। उसके द्वारा इससे पूर्व भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त जारी नोटिस दिनांक 1.1.2018 की तामील अपीलान्त सियादेवी पर स्वयं हुई है जिस पर उसके हस्ताक्षर हो रहे हैं तथा उसके अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध दिनांक 15.1.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस प्रकार

6  
अति० जिला कलक्टर  
धौलपुर

(3)

न्या0अति.जिला कलक्टर धौ0  
वमुक: सियादेवी बनाम सरकार  
अपील संख्या 14/2018

अपीलान्ट पर नोटिस की तामील विधिवत रूप से हुई है। अपीलान्ट का यह कथन सत्य नहीं है कि उस पर अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की तामील नहीं हुई। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 440 रकवा 3 बीघा में से 1 बीघा 1 बिसवा भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर बॉके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में संरसों फसल बोकर सम्बत 2074 रवी मे नाजायज अतिक्रमण किया जाना सावित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सावित है कि अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था तथा बार बार अतिक्रमण करने की आदि हैं। पुनः नाजायज कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आती है। अपीलान्ट ने दौराने बहस विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है तथा अपीलान्ट ने बहस में यह भी कथन किया है कि उसने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में वह उक्त विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगी इस आशय का उसने अपना शपथ पत्र भी इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है

अतः तहसीलदार सैपऊ को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बावत तहसीलदार सैपऊ मौका सत्यापन करने पर अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोडना पाते है एवं सम्बत 2075 में अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रकरण संख्या 06/2018 उनवानी सरकार बनाम सियादेवी मे पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 में अपीलान्ट को दी गई एक माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटाया नहीं पाया जावे एवं सम्बत 2075 में अपीलान्ट का कब्जा पाया जावे तो अपीलान्ट के सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( हरफूल सिंह यादव )

अति० जिला कलक्टर  
अति० जिला कलक्टर  
धौलपुर (राज०)  
धौलपुर